

न्यायालय:- श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.)

विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 31 / 2012
संस्थान दिनांक 27.07.2012

अनिताबाई पति घमण्डीलाल सिर्वी, आयु 38 वर्ष
व्यवसाय- गृहकार्य, निवासी- ग्राम मण्डवाड़ा,
तहसील - अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रार्थी

वि रु द्ध

घमण्डीलाल पिता जगदीश सिर्वी, आयु 45 वर्ष
व्यवसाय कृषि, निवासी-ग्राम मण्डवाड़ा,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रतिप्रार्थी

आ दे श

आज दिनांक 07.09.2015 को पारित

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 127 द.प्र.सं. दिनांक 27.07.2012 का निराकरण किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रार्थी ने अपने पति प्रतिप्रार्थी से प्राप्त होने वाले भरण-पोषण की राशि प्रतिमाह रुपये 1200 से बढ़ाकर प्रतिमाह रुपये 5000 दिलाने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी की पत्नी है तथा प्रार्थी ने पूर्व में प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध भरण-पोषण का आवेदन द.प्र.स. की धारा 125 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था, जिसका विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 85/03 था। उस प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.10.2005 को आदेश होकर प्रतिप्रार्थी को प्रतिमाह 2000 रुपये भरण-पोषण प्रार्थी को अदा करने के लिए आदेशित किया था, जिस आदेश के विरुद्ध उभयपक्षों द्वारा पुननिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़वानी द्वारा प्रतिप्रार्थी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए भरण-पोषण की राशि रुपये 2000/- के स्थान पर 1200/- रुपये अदा करने के लिए आदेश किया गया।

3. प्रार्थी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विगत 5-6 वर्षों से मंहगाई लगभग 3 गुना बढ़ गई है तथा प्रार्थी को प्राप्त होने वाली प्रतिमाह रुपये 1200/- से उसका भरण-पोषण नहीं हो पाता है, जबकि प्रार्थी एक अनपढ़ महिला है और वह कोई भी काम नहीं जानती है तथा कोई आय का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी अपने पिता पर आश्रित है तथा प्रार्थी के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रतिप्रार्थी के नाम से ग्राम मण्डवाड़ा में पटवारी हल्का नम्बर 16 सर्वे नम्बर 18/1 एवं 19/4 कुल रकबा 2.833 हेक्टेयर लगभग 7 एकड़ कृषि भूमि सिंचित है, जिसमें प्रतिप्रार्थी कपास, गेहूँ, लसन, तुवर एवं चने की फसल प्राप्त करता है। प्रतिप्रार्थी ने वर्ष 2012 में 15 लाख रुपये की फसल प्राप्त की थी। प्रतिप्रार्थी के ग्राम मण्डवाड़ा में दो मकान पक्के बने हुए हैं। प्रार्थी को बढ़ती हुई मंहगाई में अपने भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपये की आवश्यकता है, जिसे अदा करने में प्रतिप्रार्थी समक्ष है, क्योंकि प्रतिप्रार्थी एक सम्पन्न कृषक है। प्रार्थी ने प्रतिमाह 5000/- रुपये दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रार्थी स्वस्थ एवं सक्षम महिला है, जो अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकती है। प्रतिप्रार्थी के पास केवल 3.5 एकड़ जमीन है और उस पर अपनी पुत्र एवं पुत्रियों की पढ़ाई-लिखाई एवं विवाह का भी भार है। प्रतिप्रार्थी को अपने पिता से कोई आय प्राप्त नहीं होती है। उसके नाम से ग्राम मण्डवाड़ा में कोई मकान नहीं है। प्रतिप्रार्थी के पिता का मकान ग्राम मण्डवाड़ा में है जो 20-25 वर्ष पुराना है। प्रतिप्रार्थी का कच्चा मकान है, जिसमें उसके भाई का भी हिस्सा है। प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को प्रतिमाह 5000/- रुपये भरण-पोषण देने में सक्षम नहीं है। वर्तमान में कृषि की लागत भी बढ़ने से प्रतिप्रार्थी को बड़ी मुश्किल से 60 से 70 हजार रुपये वार्षिक की आय मुश्किल से प्राप्त होती है। वह प्रार्थी को 1200/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का भुगतान मुश्किल से कर पा रहा है। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1. क्या प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को प्रदान किये जाने वाले भरण-पोषण की राशि रुपये 1200/- प्रतिमाह प्रार्थी के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है ?
2. यदि हाँ तो क्या प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में राशि 5000/- रुपये पाने का अधिकारी है ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 2 के संबंध में

6. प्राथी की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं प्राथी श्रीमती अनिताबाई (प्रा.सा.1) ने अपने कथन है कि 1200/- रुपये में उसे प्रतिमाह भरण-पोषण में कठिनाई हो रही है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और मंहगाई में बढ़ोतरी हो गई है। प्रतिप्रार्थी के पास सिंचित कृषि भूमि एवं पक्का मकान है, जिससे प्रतिप्रार्थी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये आय अर्जित हो जाती है। उसे अपने भरण-पोषण हेतु रुपये 5000/- की आवश्यकता है जो प्रतिप्रार्थी देने में सक्षम है। वह कोई कार्य व्यवसाय नहीं करती है, क्योंकि उसे कोई कार्य-व्यवसाय नहीं आता है। प्राथी ने अपने समर्थन में पूर्व के आदेश की प्रतिलिपि प्रदर्शपी 1 एवं प्रदर्शपी 2 प्रमाणित कराई है तथा प्रतिप्रार्थी के ग्राम मण्डवाड़ा में स्थित मकान का प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 3 एवं प्रतिप्रार्थी की कृषि भूमि के राजस्व प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 4 लगायत 7 भी प्रमाणित कराये हैं।

7. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्राथी ने स्वीकार किया कि उसकी 2 संतानें हैं, जिनमें पुत्री की आयु लगभग 14 वर्ष एवं पुत्र की आयु 12 वर्ष है, जो प्रतिप्रार्थी के पास हैं, उनके पालन-पोषण एवं पढ़ाई-लिखाई एवं विवाह का खर्चा प्रतिप्रार्थी ही करेगा। प्राथी ने यह भी स्वीकार किया कि बच्चों के पढ़ाई-लिखाई एवं अन्य खर्चों में भी मंहगाई में बढ़ोतरी हुई है। प्राथी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी के पिता के नाम से 6 एकड़ जमीन है। प्राथी ने स्वीकार किया कि 7 एकड़ जमीन प्रतिप्रार्थी और उसके भाई पन्नालाल के नाम से है। उसमें से आधी जमीन प्रतिप्रार्थी के हिस्से की है, लेकिन प्राथी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी की जमीन सुखी है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जमीन सिंचित है। प्राथी ने यह भी स्वीकार किया कि खेती की लागत में बीज, दवाई, मजदूरी, बिजली, डीजल का मूल्य भी बढ़ा है। प्राथी ने ग्राम मण्डवाड़ा में मकान प्रतिप्रार्थी के पिता के नाम से होने से इंकार किया है। प्राथी ने स्वीकार किया कि उनके समाज में लड़के-लड़कियों के विवाह में रुपये ढेड़ लाख खर्च हो जाता है। प्राथी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी उसे प्रतिमाह 1200/- रुपये से ज्यादा भरण-पोषण अदा नहीं कर सकता है। प्राथी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह स्वस्थ है और उसे कोई बीमारी नहीं है। प्राथी ने स्पष्ट किया कि उसे हाथ-पैर, सिर में दर्द की शिकायत रहती है और उसने कोई ईलाज नहीं कराया और अस्वस्थता का प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है। प्राथी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपने पिता के साथ खेत में जाकर काम करती है अथवा रुपये 1200/- में प्रतिमाह उसका भरण-पोषण हो जाता है अथवा प्रतिप्रार्थी को परेशान करने के लिए असत्य बात कही है।

8. प्रार्थी के कथनों का समर्थन उसके पिता दुदालाल प्रा.सा 2 ने कर अपने कथन में बताया कि उसकी पुत्री का 1200/— रुपये में भरण—पोषण नहीं होना बताया है तथा प्रतिप्रार्थी के पास 13 एकड़ सिंचित कृषि भूमि एवं 2 मकान एवं टेक्टर है, जिससे प्रतिप्रार्थी को प्रतिवर्ष 7 से 8 लाख रुपये आय अर्जित होती है। प्रार्थी को प्रतिमाह रुपये 5000/— भरण—पोषण की आवश्यकता है, जो प्रतिप्रार्थी देने में सक्षम है।

9. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी की 2 संतानें हैं, जिनका विवाह प्रतिप्रार्थी करेगा, तो उसमें लगभग 3 लाख रुपये खर्च आयेगा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी को उसके पुत्र की पढ़ाई—लिखाई में भी खर्च लगेगा जो वर्तमान में काफी होता है। प्रार्थी साक्षी ने स्वीकार किया कि 13 एकड़ जमीन में से प्रतिप्रार्थी के पिता के नाम से 6 है तथा शेष 7 एकड़ में से आधी प्रतिप्रार्थी के नाम से है। साक्षी ने स्वीकार किया कि मकान प्रतिप्रार्थी के पिता के नाम पर है तथा टेक्टर किसके नाम से है उसे पता नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि पिछले 4—5 वर्ष में कृषि का खर्च बढ़ गया है तथा बीज—खाद, दवाई आदि महंगे हो गये हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी को अपने हिस्से की जमीन में से केवल 50 से 60 हजार रुपये की आय प्राप्त होती है अथवा उसकी पुत्री प्रार्थी स्वस्थ है और उसके खेत में काम करती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी प्रतिमाह रुपये 1200/— से अधिक भरण—पोषण देने की स्थिति में नहीं है।

10. घमण्डी प्रति.सा. 1 का कथन है कि वह कृषि कार्य करता है। उसके पास 3.5 एकड़ कृषि भूमि है जो सुखी है। पिछले वर्ष पानी की कमी से फसल का नुकसान होकर कम फसल आई थी और गेहूँ एवं चने की फसल में बारिश होने से उक्त फसल खराब हो गई थी। उसकी दो संतानें हैं एक पुत्र एवं एक पुत्री हैं। पुत्र की आयु लगभग 13 वर्ष एवं पुत्री की आयु लगभग 16 वर्ष है। उसका पुत्र कक्षा 12 बी में एवं पुत्री कॉलेज में पढ़ रही है। प्रार्थी उसकी पत्नी है और प्रार्थी का एक भाई है। प्रार्थी के पिता के पास 8 एकड़ जमीन है जिसमें से 4 एकड़ कृषि भूमि प्रार्थी को प्राप्त हुई है उसकी पत्नी कृषि का कार्य करती है और अपने पिता के खेत में कार्य कर अपना भरण—पोषण कर रही है। उक्त पूर्व के आदेशानुसार प्रार्थी को 1200/— रुपये अदा कर रहा है और वह प्रार्थी को इससे अधिक भरण—पोषण आदि नहीं कर सकता है। उनके समाज में बच्चों का विवाह 19—20 वर्ष की आयु में हो जाता है, जिसमें एक संतान के विवाह में लगभग 4 से 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। उसे अपनी दोनों संतानों का विवाह 2 से 3 वर्ष में करना होगा और वह अपनी संतानों की पढ़ाई—लिखाई में लगभग प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार रुपये खर्च कर रहा है।

11. प्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि ग्राम मण्डवाड़ा में उसकी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 18/1 एवं 19/4 है। उक्त भूमि 7 एकड़ है, जिसमें उसके भाई का भी बराबर हिस्सा है। उसके पिता के नाम से 6-7 एकड़ जमीन अलग से है। उसके खेत में कुआं था जो बंद हो गया है उसने पाईप लाईन में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वह पाईप लाईन का खर्चा नहीं दे पायेगा। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने पिछले वर्ष फसल बोई थी, उसका इंद्राज पटवारी ने किया था। पिछले वर्ष उसने कपास एवं तुवर लगाई थी, जिसमें कपास 15-16 क्विंटल, तुवर लगभग 1 क्विंटल निकली थी। उसे पिछले वर्ष कृषि से 20 से 25 हजार रुपये का फायदा हुआ था। पिछले वर्ष उसकी दोनों सतानों के पढ़ाई-लिखाई एवं खाना खर्च में 50 हजार रुपये खर्च हुए थे। उसने नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक से 1,00,000/- लाख का लोन लिया था और उसके भाई ने भी इतना ही लोन लिया था। उसने बैंक में लोन जमा करने के लिए कैलाश पिता लक्ष्मण से पैसे उधार लिये थे। वह अपने पिता के खेत में काम कर अपना एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रहा है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके पिता की आयु लगभग 65 वर्ष है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह खेती नहीं करते हैं। प्रतिप्रार्थी ने स्पष्ट किया कि उसके पिता खेती करते हैं और वे लोग अपने पिता के यहाँ मजदूरी करते हैं। प्रतिप्रार्थी इस सुझाव से इंकार किया कि उसके दो मकान हैं। प्रतिप्रार्थी ने स्पष्ट किया कि एक मकान उसके पिता के नाम से है एवं दूसरा मकान उसे थोड़ा-सा बनाया है, जिसमें टीन की चद्दर है। प्रतिप्रार्थी ने अपने पास टेक्टर होने से इंकार किया है तथा खेती बैल से करना बताया है। प्रतिप्रार्थी इस सुझाव से इंकार किया कि उसके परिवार में 15 एकड़ जमीन है और वह अपने परिवार के साथ रहता है। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपने हिस्से की जमीन से प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रुपये आय अर्जित करता है। उसके पिता की जमीन से भी 15 से 20 लाख रुपये आय अर्जित करता है। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह प्रार्थी को 5000/- रुपये प्रतिमाह अदा कर सकता है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12. कैलाश प्रति सा 2 का कथन है कि प्रतिप्रार्थी के पास 3.5 एकड़ कृषि भूमि हैं। गतवर्ष प्रतिप्रार्थी की फसल खराब हो गई थी तथा कम आई थी। प्रतिप्रार्थी को बैंक के रुपये वापस करना थे तो प्रतिप्रार्थी ने उससे 1,00,000/- रुपये उधार लिये थे। प्रतिप्रार्थी की दो संतानें हैं, जिनका विवाह उसे करना है। उनके समाज में 1 बच्चे के विवाह में लगभग 4 से 5 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं तथा प्रार्थी के पिता के पास 8 एकड़ जमीन है तथा प्रार्थी का केवल एक भाई है। प्रार्थी खेती का काम अपने पिता के साथ करती है। प्रतिप्रार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर है। प्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी उसके काका का पुत्र है। प्रतिप्रार्थी ने वर्तमान में 2 से 2.5 एकड़ में कपास एवं 1 एकड़ में ज्वार बोई है। प्रार्थी की वर्तमान में फसल

अच्छी है। यदि फसल अच्छी होती है तो 2 से 2.5 एकड़ में कपास 20 से 25 क्विंटल निकलेगा तथा 10 क्विंटल ज्वार निकलेगी। साक्षी ने स्वीकार किया कि पिछले वर्ष कपास का भाग 2500/- रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3500/- रुपये प्रति क्विंटल था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी अपनी कृषि भूमि से दो फसल लेता है। यदि प्रतिप्रार्थी अपनी भूमि में गेहूँ की फसल लेगा तो लगभग 35 क्विंटल गेहूँ की उपज प्राप्त करेगा। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी लगभग 2,00,000/- रुपये की फसल वर्षभर में लेता है जिसमें खर्च भी होता है। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी की आय 40 से 50 हजार रुपये स्वीकार की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी और उसके भाई का पिता से बंटवारा नहीं हुआ है अथवा दोनों भाई पिता के साथ खेती कर प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये की आय अर्जित करते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि एक महिला अलग रहती है तो उसे कितना खर्च लगेगा वह नहीं बता सकता है, लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रार्थी को जीवन-यापन के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपये की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रार्थी को अपना खर्च कम करना चाहिए, क्योंकि प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को इतना खर्चा देने में सक्षम नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह प्रतिप्रार्थी के रिश्तेदार होने से उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है।

13. इस प्रकार उभयपक्षों की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिप्रार्थी के पास लगभग 3.5 एकड़ सिंचित कृषि भूमि है, जिससे वह आय अर्जित करता है। उसके पास स्वयं के निवास करने हेतु भवन भी है तथा प्रतिप्रार्थी ने स्वयं की आय लगभग 50 से 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष होना स्वीकार किया है। प्रतिप्रार्थी पर उसकी दो संतानों के भरण-पोषण का भी दायित्व है। यद्यपि प्रार्थी के पिता के नाम से भी कृषि भूमि है, लेकिन उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी को बंटवारा प्राप्त हो चुका है अथवा वह उक्त भूमि पर कृषि कर आय अर्जित कर रही है। इस संबंध में प्रतिप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. प्रार्थी के पक्ष में प्रतिमाह रुपये 1200/- भरण-पोषण का आदेश वर्ष 2006 में पारित हुआ है, तब से वर्तमान समय तक जीवन की मूलभूत सुविधाओं के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रदान किये जाने वाला प्रतिमाह रुपये 1200/- भरण-पोषण का आदेश प्रकरण में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण बढ़ाया जाना उचित प्रतीत होता है। जबकि प्रार्थी ने स्वयं को अस्वस्थ होना भी बताया है, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

15. उभयपक्ष की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह 2200/- रुपये भरण-पोषण पाने की अधिकारी प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 127 द.प्र.सं. स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी को रुपये 2200/- (अक्षरी दो हजार दो सौ रुपये मात्र) भरण-पोषण के रूप में अदा करे या न्यायालय में जमा करें। उक्त आदेश आज दिनांक 07.02.2015 से लागू होगा।

16. धारा 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत इस आदेश की एक प्रतिलिपि प्रार्थी को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाए।

17. प्रार्थी का आवेदन का व्यय भी प्रतिप्रार्थी वहन करेगा, जो 500/- (अक्षरी पाँच सौ रुपये मात्र) रुपये निर्धारित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी

